संख्या– /33–3–2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक मई, 2025

विषय– मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुरस्कृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–81/2017/2170/33–3–2017–212/2017, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को **मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत** प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन **''सी.एम. एवार्ड पोर्टल''** (cmaward.upprd.in) पर प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1033/33–3–2022–345/2016 टी.सी.–1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 विषयों (थीम) पर किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर **''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार''** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रियानुसार चयन किया जाये :–

1– योजना का उद्देश्य :–

- पंचायतों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पुरस्कृत पंचायतों के कार्यों को आदर्श मान कर अन्य ग्राम पंचायतें भी इन पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मान कर स्वयं की प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करेगीं।
- पंचायतों को पूर्व निर्धारित शासकीय अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जाग्रत कर उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।
- ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

2– सामान्य निर्देश :–

- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत समय–सारिणी का निर्धारण एवं आवश्यकतानुसार संशोधन निदेशक, पंचायती राज द्वारा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायेगा, जिसकी अनुशंसा के आधार पर योजना को निष्पादित किया जायेगाः–
  1– **राज्य स्तरीय समिति ''राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति'' (SPAC) –** कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।
  2– **जनपद स्तरीय समिति ''जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति''(DPAC)–**जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
  3– विशेष पुरस्कार असेसमेन्ट समिति।

समितियों का स्वरूप एवं दायित्व प्रस्तर–4 पर वर्णित है।

- योजनान्तर्गत निम्नलिखित प्रस्तर–3 में प्रदत्त विषयों/क्षेत्रों के आधार पर 100 अंकों की प्रश्नावली तैयार की जायेगी तथा दिनांक 20.03.2025 को निर्गत अष्टम बैठक के कार्यवृत्त में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य स्तर पर गठित सुझाव समिति द्वारा प्रश्नावली को उच्चीकृत/संशोधित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा निर्धारित प्रश्नावली को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- ग्राम पंचायतों को अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से **''सी0एम0 अवार्ड पोर्टल''** पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। इस वर्ष से आवेदन हेतु बेसिक क्वालीफिकेशन के प्रश्न निर्धारित किये गये है, अर्थात ऑनलाइन पोर्टल पर 02 आवेदन प्रपत्र होंगे, जिसमें प्रथम आवेदन बेसिक प्रपत्र के प्रश्नावली में निर्धारित प्रश्नों में सफल होने के उपरान्त ही 9 थीम/विषय की प्रश्नावली के मुख्य आवेदन में पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतें प्रवेश कर सकेंगी।
- ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में किये गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावली के प्रश्नों का ऑनलाइन स्वमूल्यांकन कर उत्तर देते हुए अपेक्षित अभिलेख अपलोड कर जनपद परफार्मेन्स असेसमेन्ट समिति हेतु ऑनलाइन फ्रीज किया जायेगा।
- जनपद स्तरीय समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण कर कुल पुरस्कृत होने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से कम से कम 3 गुना ग्राम पंचायतों का अनिवार्य रूप से स्थलीय सत्यापन की कार्यवाही सत्यापन दल का गठन कर कराया जायेगा।
- प्रत्येक विकास खण्ड की कम से कम 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक जनपद की एक विकास खण्ड से 02 ग्राम पंचायतों से अधिक ग्राम पंचायतों को पुरस्कार हेतु ऑनलाइन अग्रसारित नहीं किया जायेगा।
- **''ऐसी ग्राम पंचायतें जो कि** विगत वर्षों में 02 बार पुरस्कृत हो चुकी है। आगामी पुरस्कार हेतु दूसरा पुरस्कार प्राप्त करने के वर्ष से 05 वर्ष पश्चात पुरस्कार हेतु पुनः आवेदन करने के लिए अर्ह होगी।
- चयनित ग्राम पंचायतों के प्रश्नवार साक्ष्य सहित समस्त मूल अभिलेखों की प्रमाणित प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी, जिससे उच्च स्तर पर आवश्यकतानुसार इन पंचायतों के अभिलेखों की प्रति उपलब्ध करायी जा सके।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कृत करने हेतु विचार नही किया जायेगा।
- जनपद परफार्मेन्स असेसमेन्ट समिति द्वारा आवेदित पंचायतों द्वारा प्रश्नावली में दर्शायी गयी सूचनाओं के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त समिति द्वारा प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली 05 ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची पर अनुमोदन एवं संस्तुति प्रदान कर पोर्टल पर अंकित कर राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जायेगा। साथ ही चयनित पंचायतों का प्रस्तुतीकरण एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस सभी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जनपद स्तरीय समिति की होगी।
- किसी भी दशा में चयनित ग्राम पंचायतों के अंक समान नहीं रखे जायेंगे। चयनित ग्राम पंचायतों में समान अंक होने पर न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर उनका अवरोही क्रम तैयार किया जायेगा।
- जनपद से प्राप्त ग्राम पंचायतों की सूची के आधार पर निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से पंचायतों के अंकों का अवरोही क्रम में निर्धारण कर ग्राम पंचायतों की सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा।
- राज्य स्तर पर अवरोही क्रम में तैयार की गयी चयनित पंचायतों की सूची में उच्च अंक प्राप्त करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को विशेष पुरस्कार हेतु पृथक कर लिया जायेगा एवं जनपद की उक्त ग्राम पंचायत के स्थान पर जनपद स्तरीय समिति से संबंधित जनपद की अन्य ग्राम

पंचायत जो कि सत्यापनोपरान्त अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, में से अग्रिम उच्च अंक वाली ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त कर सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

- 10 विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत की जानी वाली ग्राम पंचायतों का सत्यापन निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर प्रदेश की प्रत्येक जनपद से कुल 05 ग्राम पंचायतों अर्थात कुल 375 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किये जाने के अतिरिक्त राज्य स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त (समान अंक प्राप्त होने पर न्यूनतम आबादी को आधार मानते हुए वरीयता क्रम तैयार किया जाये) करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त विशिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की सूची तैयार कर राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित की जायेगी।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद स्तर से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम संख्या एवं पुरस्कार धनराशि शासन द्वारा प्राविधानित बजट व्यवस्था अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों हेतु अनुपूरक बजट का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। किसी परिस्थितिवश शासन से धनराशि प्राप्त न होने की स्थिति में निर्धारित बजट में राज्य स्तरीय समिति द्वारा विशेष पुरस्कार के धनराशि का निर्धारण किया जायेगा।
- **पोर्टल** पर आवेदन हेतु सचिव, ग्राम पंचायत, जनपद स्तरीय समिति **(DPAC)** के यूजर आईडी और पासवार्ड सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी के ईमेल आईडी पर पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

3— योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु शासनादेश संख्या—1033/33—3—2022—345/2016टी.सी.—1, दिनांक 27 मई, 2022 में वर्णित 09 **विषय/क्षेत्र एवं अधिमानः—**

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल 100 अंक
01	थीम—01 गरीबी मुक्त गॉव	10 अंक
02	थीम—02 स्वस्थ गॉव	10 अंक
03	थीम—03 बाल मैत्री गॉव	10 अंक
04	थीम—04 पर्याप्त जल युक्त गॉव	10 अंक
05	थीम—05 स्वच्छ एवं हरित गॉव	10 अंक
06	थीम—06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ाचे वाला गॉव	10 अंक
07	थीम—07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव	10 अंक
08	थीम—08 सुशासन वाला गॉव	20 अंक
09	थीम—09 महिला हितैषी गॉव	10 अंक

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—25 में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

4— **समितियों का गठन एवं दायित्वः—**

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति (DPAC):—

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति(DPAC) के दायित्वः—

01— जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।

02— ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन—लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।

03— ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों की टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।

04— स्थलीय सत्यापन के पश्चात् निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।

05— सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।

06— ऑन–लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, प्रधान व पंचायत सहायक का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित कराना।

07— जनपद स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना एवं प्रश्नावली में वर्णित प्रश्नों का विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत सचिवालयों पर वॉल पेंटिंग करायी जाये एवं अधिक से अधिक पंचायतों का योजनान्तर्गत प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

08— पुरस्कार धनराशि प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों से उपभोग प्रमाण–पत्र पंचायती राज निदेशालय को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना।

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति(SPAC)–

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य
8	विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
9	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उप निदेशक, पंचायती राज विभाग,उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि तथा 2 ग्राम प्रधान।	सदस्य

राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति(SPAC) के दायित्वः–

01— योजनान्तर्गत बजट व्यवस्थानुसार कुल पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों (विशेष पुरस्कार वाली सम्मिलित ग्राम पंचायत) की संख्या एवं पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेना।

02— पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।

03— जनपद स्तरीय समितियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयनित ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को अवरोही क्रम में तैयार कर पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।

04— पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब–साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

05— राज्य/मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय–सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

06— पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं मुद्रण कराना।

07— प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

08— योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

09— योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

विशेष पुरस्कार असेसमेन्ट समिति–

क्र.सं.	पदनाम	पद
1.	निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक (पं.)/नोडल अधिकारी, सी.एम. एवार्ड, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य सचिव
3.	संयुक्त निदेशक (पं.), पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
4.	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
5.	उपनिदेशक(पं.), वित्त आयोग, पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
6.	उपनिदेशक(पं.), स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.), पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य
7.	उपनिदेशक(पं.), आर.जी.एस.ए. पंचायती राज, उ.प्र.।	सदस्य

विशेष पुरस्कार असेसमेन्ट समिति के दायित्व

1– जनपद से प्राप्त चयनित ग्राम पंचायतों की सूची के अवरोही क्रम में उच्च अंक प्राप्त करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को विशेष पुरस्कार हेतु पृथक करना।

2– विशेष पुरस्कार हेतु चयनित पंचायतों का सत्यापन करना।

3– सत्यापनोपरान्त प्रस्तावित सूची को राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित करना।

05– ग्राम पंचायतों के आवेदन तथा चयन प्रक्रियाः–

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं निर्धारित प्रश्नावली पर ऑनलाइन मूल्यांकन कर निश्चित समय सीमा में अंकन कर पुरस्कार हेतु आवेदन किया जायेगा। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी**(DPAC)** ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें ऑनलाइन फ्रीज करेगी। जनपद स्तरीय समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या से न्यूनतम तीन गुना ग्राम पंचायतों का अंको के अवरोही क्रम में चयन करेगी।

सत्यापन दल स्थलीय सत्यापन के उपरान्त रिर्पोट समिति को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् सर्वाधिक अंक वाली 05 ग्राम पंचायतों की सूची पुरस्कार हेतु राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाइन फ्रीज कर अग्रसारित करेगी।

राज्य स्तर पर निदेशक, पंचायती राज द्वारा चयनित पंचायतों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को विशेष पुरस्कार हेतु सूची बद्ध कर सम्बन्धित जनपद स्तरीय समिति से उसके स्थान पर अवरोही क्रम के अन्य उच्च अंक वाली ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त कर 375 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी प्रत्येक जनपद से पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों (**SPAC** द्वारा निर्धारित) को प्राप्त अंकों के आधार पर धनराशि का निर्धारण करेगी। **SPAC** का निर्णय अन्तिम होगा, जिसके उपरान्त कोई दावा मान्य न होगा।

उक्त समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संलग्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

6– बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी, जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य परफासमेन्स असेसमेन्ट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 8514.64 लाख में से चयनित ग्राम पंचायतों के पुरस्कार धनराशि एवं प्रशासनिक मद पर व्यय किया जायेगा। वर्ष में कुल उपलब्ध धनराशि का पुरस्कार मद में व्यय करने के उपरान्त अधिकतम 05 प्रतिशत धनराशि को पुरस्कार समारोह आयोजन एवं अन्य प्रशासनिक मद (प्रशिक्षण, कार्मिक, स्टेशनरी व अन्य कार्यालय व्यय आदि) में व्यय किया जा सकेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु राज्य परफासमेंस असेसमेंट समिति **(SPAC)** अधिकृत होगी।

यथासाध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य माह नवम्बर, 2025 की तय सीमा तक पूर्ण करा दिये जायेगें। यदि किन्हीं कारणों से कुछ कार्य रह जाते हैं अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर इस धनराशि को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार की प्रशासनिक मद हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखा जा सकेगा, जिसे व्यय किये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7— पुरस्कार का स्वरूप

- **पुरस्कार धनराशि—**पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा एवं उक्त धनराशि सीधे चयनित ग्राम पंचायत के खाते में निदेशक, पंचायती राज द्वारा ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी।

8— पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभावों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा।

9— शासनादेश संख्या संख्या—81/2017/2170/33—3—2017—212/2017 दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या—आई/725003/2024, दिनांक 23.08.2024 को उक्त सीमा तक अवक्रमित किया जाता है।

उक्त आदेश आगामी वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के आवंटन की स्थिति में उपरोक्त दिशा—निर्देश यथावत् रहेंगे।

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 07-06-2025 11:05:59

भवदीय,
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः— /33—3—2025—तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
2— विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
4— प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।
6— प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
7— प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
8— विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग—3, उ.प्र. शासन।
9— समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
10— मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
11— निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0।
12— निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
13— अपर निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
14— उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
15— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।
16— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17— समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
18— समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20— अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के एक जिलाधिकारी/एक मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 07-06-2025 14:19:30

आज्ञा से,
(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Dell/d/SarveshGO

शासन के पत्र संख्या :– दिनांक का संलग्नक

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के परिवेक्षण एवं विभिन्न कार्यकलापों की समय सारणी।

क्र. सं.	गति विधि	दिनांक
1	समस्त जनपदों को प्रश्नावलियों को ऑनलाइन भरने की जानकारी हेतु निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना।	10 जुलाई, 2025
2	मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु पंचायत राज के पोर्टल https://cmawards.upprd.in/ पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की 100 अंको वाली प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित जनपद के सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) तथा प्रधान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) की देख रेख में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन भर कर (Freeze) अग्रसारित किया जाना।	15 जुलाई से 16 अगस्त, 2025
3	पंचायतों द्वारा फ्रीज की गई प्रश्नावलियों को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण/अनुमोदन कर जनपद स्तरीय स्थलीय सत्यापन हेतु चयन के सापेक्ष न्यूनतम दो गुना ग्राम पंचायतों को चयन करना।	01 सितम्बर, 2025
4	**जनपद स्तरीय समिति द्वारा स्वयं के स्तर से सत्यापन दल गठित कर निर्धारित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराना एवं प्रत्येक जनपद से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली 07 ग्राम पंचायतों की अभिलेखों सहित समिति की संस्तुति रिपोर्ट फ्रिज की जायेगी।**	**05 अक्टूबर, 2025**
5	**जनपद स्तरीय समिति से अग्रसारित ग्राम पंचायतों का मण्डल स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन कराकर राज्य स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जाना।**	**30 अक्टूबर, 2025**
6	राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों की सूची तैयार कर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन के समक्ष प्रस्तुत करना।	25 नवम्बर, 2025
7	कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार की धनराशि का हस्तान्तरण किया जाना।	15 जनवरी, 2025

नोट :– 1–उपरोक्त योजनान्तर्गत समय–सारणी परिस्थितियों के दृष्टिगत निदेशक, पंचायती राज द्वारा समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी।

2– समय सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।